राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर – 302005 (राज.)
फोन नः 0141-2228066 . 2228064 फैक्स नं 0141-2228065
सीआईएन. :U24232RJ2011SGC035067
वेबसाइट : www.rmsc.health.rajasthan.gov.in
ई–मेल :: edprmsc@nic.in

क्रमांक : F.02(353)/RMSCL/PROCUREMENT /DRUG/NIB-10/2022/ 718

Dated: 13/4/23

कार्यालय आदेश

"मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना" के अन्तर्गत सम्मिलित की गई औषधियों की दर संविदा के लिए जारी की गई बिड सूचना कमांक F.02(353)/RMSCL/PROCUREMENT /DRUG/NIB-10/2022/1236 Dated:-30.04.2022 के अन्तर्गत M/s Kaysons Pharma, 1, Vighyan Nagar, Sarna Dungar, Jaipur-302012 द्वारा आईटम कोड आईटम कोड NRD-602 (Deflazacort 6mg Tab) के लिये बिड प्रस्तुत की गई थी। जिसकी तकनीकी बिड दिनांक 10.06.2022 एवं वित्तीय बिड दिनांक 01.08.2022 को खोली गई। फर्म द्वारा दर रू. 0.79+GST कोट की गयी एवं फर्म की दर एल–1 रहीं।

आइटम NRD-602 की दरों के अनुमोदन हेतु प्रकरण क्रय समिति की बैठक दिनांक 17.08.2022 में एल–1 फर्म की दर रू. 0.79+12% = 0.88 को अनुमोदित किया गया। जिसके उपरांत दिनांक 23.08.2022 को रेट मैच नोटिस जारी किया गया।

फर्म Kaysons Pharma ने अपने पत्र दिनांक 26.08.2022 प्रस्तुत कर उक्त दर गलती से कोट होने के कारण आइटम की बिड को विड्रा करने हेतु निवेदन किया गया। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2947 दिनांक 15.09.2022 के द्वारा फर्म को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। प्रकरण निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 29.09.2022 व 31.01.2023 में रखा गया। फर्म को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देते हुये अनुशासनात्मक समिति के समक्ष उपस्थित होने बाबत लिखा गया लेकिन फर्म के प्रतिनिधि ने अनुशासनात्मक समिति के समक्ष कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया। फर्म द्वारा कोटेड दर एल–2 फर्म की दर रू. 0.87+GST एवं एल–3 फर्म की दर रू. 0.89+GST की तुलना में असामान्य नही थी एवं फर्म द्वारा दर अनुमोदन पश्चात निगम को दर विड्रा करने हेतु सूचित किया गया। चूकिं इस आइटम के लिये अन्य फर्म द्वारा रेट मैच करने पर उच्च दर पर अनुमोदन तथा अन्तर राशि वसूली की स्थिति उत्पन्न नहीं हुयी हैं।

अतः फर्म को बिड शर्तो के उल्लंघन के लिये दोषी मानते हुये निविदा की शर्त सं. 9(7) में उल्लेखित प्रावधान–"No Bidder shall be allowed to claim revision or modification of bid after opening of bid. If any bidder withdraws or modifies its bid after opening of bid the bid security taken from the bidder shall be forfeited. Representation to make correction in the Bid documents on the ground of Clerical error, typographical error, etc., committed by the Bidders in the Bids shall not be entertained after submission of the Bids. Conditions such as "SUBJECT TO AVAILABILITY" "SUPPLIES WILL BE MADE AS AND WHEN SUPPLIES ARE RECEIVED" etc., will not be entertained under any circumstances and the Bids of those who have given such conditions shall be treated as incomplete and accordingly the Bid will be rejected." एवं डिबारिंग पालिसी के बिन्दु संख्या 2.1 में उल्लेखित प्रावधान "The successful Bidder fails to execute the agreement after being declared as L-1, L-2 or L-3 etc. to perform the obligations under the Bid conditions, Bid Security Deposit of such Bidder firm shall be forfeited. If an LoA for more than one products is issued to a successful bidder and he/she/it fails to execute agreement for few items, in such case, a penalty of Rs. 2.00 lac and in case of MSME of the State of Rajasthan Rs. 50,000 shall be imposed on successful bidder and the product for which agreement is not executed shall be debarred for a period of not less than 3 years" के अन्तर्गत M/s Kaysons Pharma को औषधि आइटम कोड NRD-602 (Deflazacort 6mg Tab) के लिये

आरएमएससी की निविदाओं में भाग (participate) लेने से यह आदेश जारी होने की दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये ब्लैकलिस्ट/डिबार करने तथा राशि रू 59000/- (GST@18% सहित) (अक्षरे राशि रू उनसठ हजार मात्र) की पैनल्टी आरोपित किए जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

प्रबन्ध निदेशक
आरएमएससीएल

क्रमांक : F.02(353)/RMSCL/PROCUREMENT /DRUG/NIB-10/2022/718
Dated: 13/4/23

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मिशन निदेशक, एन.एच.एम, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, पी.एच/आर.सी.एच/एच.ए/ए.आई.डी.एस/एम.एस.यू/आई.ई.सी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल.।
7. कार्यकारी निदेशक (क्यू. सी.), आरएमएससीएल।
8. OIC, Supply, आरएमएससीएल।
9. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल.।
10. कार्यकारी निदेशक, (वित्त), आरएमएससीएल को भेज कर लेख है कि मैसर्स Kaysons Pharma द्वारा जमा कराई गई बोली की प्रतिभूति राशि रू 50000 & 20000 (D.D No '898477 & 871155 dated 03.06.2022 & 04.06.2022, State Bank Of India.) जो कि इस अनुभाग की अनौ टीप क्रमांक 1861 दिनांक 28.06.2022 के द्वारा वित्त अनुभाग को भिजवाया गया है, में से पैनल्टी राशि रू 59000 (अक्षरे राशि रू उन्सठ हजार मात्र) जब्त करे।
11. सम्बन्धित निविदादाता मैसर्स Kaysons Pharma, 1, Vighyan Nagar, Sarna Dungar, Jaipur-302012
12. संयुक्त निदेशक, आई.टी., आरएमएससीएल को भेजकर लेख है कि इस आदेश को आरएमएससीएल की वेबसाइट तथा E-aushadhi Software में अपलोड़ करावें।
13. रक्षित पत्रावली

कार्यकारी निदेशक (पी)
आरएमएससीएल